Canada Border Services Agency
Agence des services frontaliers du Canada

आप्रवास और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबंद लोगों के लिए जानकारी

BSF5012-3 (Hindi)

PROTECTION • SERVICE • INTEGRITY

Canada

© हर मैजेस्टी द क्वीन इन राइट ऑफ कॅनेडा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी, 2015 के मंत्री व्दारा प्रतिनिधित्व।

सूची-पत्र नम्बर। PS38-49/2015Hi-PDF

ISBN 978-0-662-03894-8

यह दस्तावेज़ कॅनेडा सीमा सेवा एजेंसी की वैबसाइट www.cbsa-asfc.gc.ca पर उपलब्ध है।

यह दस्तावेज़ अनुरोध पर वैकल्पिक स्वरूपों में उपलब्ध है।

Also available in English under the title: Information for People Detained Under the *Immigration and Refugee Protection Act*

Aussi offert en français sous le titre : Renseignements à l'intention des personnes détenues en vertu de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*

और अन्य भाषाओं में उपलब्ध है - अरबी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, जापानी, कोरियाई, फ़ारसी, पुर्तगाली, पंजाबी, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, तमिल, उर्दू।

यह कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। कानूनी जानकारी के लिए, आप्रवास और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम (*Immigration and Refugee Protection Act /Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*) और नियमों को देखें।

यह दस्तावेज़ आपको आपके अधिकार, दायित्व और आपके नजरबंद होने के कारण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व साथ ही साथ सामान्य जानकारी भी प्रदान करता है जो आपके नजरबंद होने के दौरान उपयोगी हो सकती है। यदि अपनी नजरबन्दी या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी के विषय में आपके कोई भी प्रश्न हैं, तो कृपया कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (Canada Border Services Agency [CBSA] / Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]) के अधिकारी से बात करने की मांग करें।

कानून

आपको कनाडा के आप्रवास और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबंद किया गया था क्योंकि CBSA/ASFC अधिकारी -

- ने पूरी जांच पड़ताल करना आवश्यक माना;
- आपकी पहचान से संतुष्ट नहीं था;
- के पास विश्वास का कारण था कि कनाडा में आप अस्वीकार्य व जनता के लिए ख़तरा थे और जांच पड़ताल (उड़ान का ख़तरा), स्वीकार्यता सुनवाई, कनाडा से निष्कासन या कार्यवाही जिसमें निष्कासन आदेश हो सकता है, के लिए आपके प्रकट होने की संभावना नहीं; या
- के पास संदेह का कारण था कि कनाडा में आप सुरक्षा या मानव या अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन करने, गंभीर अपराध, अपराध या संगठित अपराध के कारणों से अस्वीकार्य थे।

बंदियों के साथ व्यवहार पर नीति

बंदियों के साथ व्यवहार

- आपके साथ हर समय गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा।
- आपको आपके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित किया जाएगा, और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अवसर दिया जाएगा और आपको आपके मामले की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

आपके साथ हर समय गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा।

बच्चे

- CBSA/ASFC 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एक अंतिम प्रयास के रूप में ही नजरबंद करती है। यदि आप के बच्चे हैं, CBSA/ASFC आपके विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर उनके सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान रखते हुए विचार करेगी। CBSA/ASFC का अधिकारी आपके परिवार के सदस्यों समेत वैकल्पिक बाल-संभाल व्यवस्था की उपलब्धता, आपकी नजरबंदी की अपेक्षित अवधि और आपके बच्चों को उचित आवास और सेवाओं की उपलब्धता जैसे कारकों का आँकलन करेगा।
- यदि यह उनके सर्वश्रेष्ठ हित में है, तो आपके बच्चों को आपके साथ CBSA/ASFC के आप्रवास होल्डिंग केंद्र में रहने दिया जाएगा। केंद्र में परिवारों के लिए रहने के अलग क्षेत्र हैं। और आप कितने समय यहाँ रहते हैं उस पर निर्भर करते हुए आपके बच्चों को शिक्षक उपलब्ध होगा।
- प्रान्तीय अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है और आपके बच्चे को प्रांतीय बाल कल्याण सेवाओं की देखभाल में रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो आपके बच्चे की आपसे मिलने की व्यवस्था की जा सकती है।

नजरबंदी सुविधाएं

- आपको पहले CBSA/ASFC के कार्यालय या बंदरगाह की प्रविष्टि (भूमि या समुद्री सीमा पार, हवाई अड्डे, आदि) में रखा जा सकता है।

आपकी गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा।

- फिर आपको एक CBSA/ASFC के आप्रवास होल्डिंग केंद्र (लवाल, क्यूबेक; टोरंटो, ओंटारियो; या वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया) या प्रांतीय सुधारक सुविधा में रखा जा सकता है। आपको कहाँ रखा जाएगा इस बात पर निर्भर करता है कि कौनसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और CBSA/ASFC को लगता है कि आप स्वयं या दूसरों के लिए किस हद तक खतरा या जोखिम प्रस्तुत करते हैं।
- CBSA/ASFC की सुविधाएं पुरुषों, महिलाओं और परिवारों को समायोजित कर सकती हैं। कुछ मामलों में, अगर एक परिवार को हिरासत में लिया गया है, बच्चों को माता पिता में से किसी एक के साथ एक अलग खंड में रखा जा सकता है। परिवारों को उनके रहने के दौरान एक दूसरे से मिलने की व्यवस्था की जाएगी।
- CBSA/ASFC यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि आप उस वातावरण में नजरबंद हैं जो निरापद और सुरक्षित है।
- आपकी गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा।
- आपकी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को आपकी संस्कृति के उपयुक्त पूरा करने के उचित प्रयास किए जाएंगे।
- CBSA/ASFC नजरबंदी स्थितियों के बारे में आपकी टिप्पणियों का स्वागत करती है।

आपके अधिकार

- आपको अपने खर्च पर वकील व्दारा प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है या यदि आप योग्य हैं तो आपको कानूनी सहायता (लीगल एड) प्राप्त करने का अधिकार है। आपको आपके लिए उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। आप किसी दोस्त या संस्था या संघ के किसी सदस्य को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकते हैं।
- आपको अपनी नजरबंदी के कारण संबंधित सूचना पाने का अधिकार है।
- आपको आपके अनुरोध पर अपने दूतावास या अपने देश के दूतावास के प्रतिनिधि से संपर्क करने का अधिकार है।

आपको अपने खर्च पर वकील व्दारा प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है या यदि आप योग्य हैं तो आपको कानूनी सहायता (लीगल एड) प्राप्त करने का अधिकार है।

- यदि आप दूतावास के किसी प्रतिनिधि से संपर्क नहीं करना चाहते, तो आप कनाडा में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय (United Nations High Commissioner for Refugees / Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) को अपनी नजरबंदी संबंधित सूचना देने के लिए कह सकते हैं।
- यदि आप उस भाषा को नहीं समझते या उस भाषा में बात नहीं कर पाते हैं जिसमें कार्यवाही (जो है, नजरबंदी समीक्षाएँ, आप्रवास सुनवाई, आदि) हो रही है, आपको दुभाषिये की सहायता लेने का अधिकार है।
- यदि आप 18 साल की उम्र से छोटे हैं, या आप्रवास और शरणार्थी बोर्ड (Immigration and Refugee Board [IRB] / Commission de l'immigration et du statut de réfugié [CISR]) के आप्रवास डिवीज़न की राय में कार्यवाही की प्रकृति को समझने में असमर्थ हैं, तो कार्यवाही के दौरान आपके मार्गदर्शन में मदद के लिए एक नामित प्रतिनिधि को नियुक्त किया जा सकता है।

आपको आपके अनुरोध पर अपने दूतावास या अपने देश के दूतावास के प्रतिनिधि से संपर्क करने का अधिकार है।

सामान्य जानकारी

समुदाय सहायता

गैर-सरकारी संस्थाओं, जैसे कि स्थानीय समुदाय या धार्मिक संगठनों के सदस्य आपसे मिलने आ सकते हैं और सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे आपको उपयोगी जानकारी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो वे आपको आपके अपने देश के लोगों के साथ या उन लोगों के साथ संपर्क करवाने की कोशिश करेंगे जो आपकी भाषा बोलते हों। ये सेवाएँ सभी सुविधाओं पर शायद उपलब्ध न हों। आप CBSA/ASFC के अधिकारियों से जानकारी और सहायता के लिए पूछ सकते हैं जो आपको इन संस्थाओं की सूची प्रदान कर सकते हैं।

चिकित्सा सहायता

किसी भी समय अगर आप (शारीरिक या मानसिक रूप से) बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, तो कृपया सुविधा कर्मचारी को तुरंत बताएँ। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं या आपको कोई (शारीरिक या मानसिक) बीमारी है, तो कृपया कर्मचारी को बताएँ जब आप इस सुविधा में भर्ती हो रहे हों। आपकी दवा चिकित्सक व्दारा जांच की जाएगी और डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार आपको दी जाएगी।

असबाब और निजी सामान

जब आप यहाँ आते हैं, तब आपको अपना निजी सामान समेत सैल-फोन, असबाब, आभूषण, पैसा, दवा, और अपने कब्जे में अन्य सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को देने की आवश्यकता होगी। आपके अनुरोध पर सुरक्षाकर्मी आपको आपके सामान का यथोचित उपयोग करने दे सकते हैं। खतरनाक वस्तुएँ जैसे कि चाकू और अन्य वस्तुएं जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और जिससे व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, उन्हें ले लिया जाएगा और समाप्त किया जा सकता है।

भोजन

यदि तिकित्सा, दंत चिकित्सा या अन्य कारणों से आपके आहार की विशेष जरूरतें हैं, तो कृपया सुविधा पर किसी CBSA/ASFC के अधिकारी, किसी गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति को तुरंत बताएं। आपकी आहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

मुलाक़ाती

- प्रत्येक सुविधा के नियमोंनुसार मुलाक़ात के घंटे और मुलाक़ातियों की संख्या की अनुमति अलग हो सकती है।
- मुलाक़ात केवल मुलाक़ात के क्षेत्र में ही संभव है।
- जिन सुविधाओं पर मुलाक़ात के लिए क्षेत्र नहीं है, केवल वकील और राज प्रतिनिधि अधिकारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
- वकील या एक नामित प्रतिनिधि से मुलाक़ात की अनुमति सुविधा के सामान्य मिलने के समय के दौरान दी जाएगी। इन घंटों के बाद की मुलाक़ात की अनुमति केवल सुविधा के प्रबंधन की अनुमति से दी जाएगी। उनका निर्णय आपके मामले के विशिष्ट विवरण के आधार पर होगा।

टेलीफ़ोन

आप कुछ स्थानों और समय पर स्थानीय टेलीफ़ोन कॉल कर सकते हैं। यदि कई लोग उपलब्ध टेलीफ़ोन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपके फोन का समय सीमित किया जा सकता है। यदि आपको टेलीफ़ोन का उपयोग करने में मदद की जरूरत है तो कृपया सहायता के लिए सुविधा कर्मचारी से पूछें। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल करने की जरूरत है, तो कृपया किसी स्थानीय अधिकारी से निर्देशों के लिए बात करें।

डाक

- कुछ सुविधाओं में, आपको लिखित डाक भेजने और प्राप्त करने की अनुमति है।
- कोई भी डाक जो आप भेजते और प्राप्त करते हैं उसको खोला और उसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- अदालतों या आपके वकील को भेजी और उनसे प्राप्त हुई डाक को केवल आपकी उपस्थिति में ही सुविधा व्दारा खोला और उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

शिकायतें

यदि आप CBSA/ASFC के अधिकारी से अपनी नजरबंदी के किसी भी पहलू संबंधित बात करना चाहते हैं, तो कृपया सुविधा में किसी गार्ड या स्टाफ के अन्य सदस्य को बताएं। CBSA/ASFC का अधिकारी आपकी शिकायत की जल्द से जल्द जाँच करेगा।

यदि आप कनाडा सीमा सेवा एजेंसी के अधिकारी से अपनी नजरबंदी के किसी भी पहलू संबंधित बात करना चाहते हैं, तो कृपया सुविधा में किसी गार्ड या स्टाफ के अन्य सदस्य को बताएं।

परिवहन

CBSA/ASFC अधिकारी आपकी तलाशी लेगा सुविधा के बाहर किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिये ले जाते समय आपको हथकड़ी पहना सकता है। विकलांग, बुजुर्ग लोगों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए छूट की जा सकती है।

आग लगने की स्थिति में

यदि आप किसी भी समय धुआँ सूँघे या आग देखें, तो कर्मचारियों को तुरंत बताएँ। अगर आग आपके कमरे में शुरू होती है, तो ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तुरंत बताएँ। शांत रहें और गार्ड के निर्देशों का पालन करें ताकि आप इमारत से सुरक्षित रूप से निकल सकें।

अन्य जानकारी

प्रत्येक सुविधा के नियमों का उद्देश्य है सभी की रक्षा और सुरक्षा करना। आपसे इन नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। विघटनकारी व्यवहार, जिसमें सम्मिलित है संपत्ति को नुकसान, सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के व्यवहार के कारण आपको अलगाव में रखा जा सकता है या किसी अधिक सुरक्षित नजरबंदी सुविधा में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है।

CBSA/ASFC के अधिकारी आपके मामले को आगे बढ़ाने के लिये कुछ जानकारी की पुष्टि की मांग कर सकते हैं।

अगर आपके अन्य प्रश्न हैं, तो कृपया सुविधा के कर्मचारियों या किसी CBSA/ASFC अधिकारी से पूछें।

नजरबंदी जारी या रिहा करने के निर्णय

"गैर निर्दिष्ट" आगमन के लिए नजरबंदी समीक्षा

प्रथम नजरबंदी समीक्षा से पहले, आपको रिहाई मिल सकती है अगर CBSA/ASFC के अधिकारी का मानना है कि नजरबंदी के कारण अब मौजूद नहीं हैं या जमानत देकर कम किया जा सकता है।

- **अड़तालीस (48) घंटे के भीतर** (या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके), आप्रवास और शरणार्थी बोर्ड का आप्रवास डिवीज़न आपकी नजरबंदी की समीक्षा करेगा। आप्रवास डिवीज़न से निर्णय करने वाला ("सदस्य") CBSA/ASFC से पृथक होता है।
- **सात (7) दिन** - यदि आपकी नजरबंदी जारी है, तो अगले सात दिनों के भीतर आपके मामले की समीक्षा IRB/CISR व्दारा फिर से की जाएगी।
- **हर तीस (30) दिन** - सात दिन की समीक्षा के बाद, आपके मामले की समीक्षा IRB/CISR व्दारा 30 दिनों में कम से कम एक बार फिर से की जानी चाहिए।
- प्रत्येक समीक्षा में आपका उपस्थित होना आवश्यक है।
- यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी सभी आप्रवास कार्यवाहियों में अपने वकील या नामित प्रतिनिधि, अगर आपके पास है, के उपस्थित होने की आवश्यक व्यवस्था करें।
- अपनी अगली अनुसूचित समीक्षा की तारीख से पहले, किसी भी समय, आप पूर्व समीक्षा के लिए कह सकते हैं, अगर नए तथ्यों से इस अनुरोध का औचित्य साबित हो सकता है। अनुरोध लिखित होना चाहिए और आप्रवास और शरणार्थी बोर्ड IRB/CIS) के आप्रवास डिवीज़न को पेश किया जाना चाहिए जो आपके अनुरोध को मानने या ना मानने का निर्णय लेगा। अनुरोध का एक प्रति CBSA/ASFC को प्रदान की जानी चाहियें।

नजरबंदी से रिहाई

समीक्षा के बाद, आप्रवास और शरणार्थी बोर्ड IRB/CISR के आप्रवास डिवीज़न का सदस्य आदेश देगा कि या तो आपकी नजरबंदी जारी रहेगी या आप नजरबंदी से रिहा होंगे। आप्रवास और शरणार्थी बोर्ड IRB/CISR आपकी रिहाई पर शर्तें लगा सकता है जिन में शामिल हो सकती हैं-

- **अदायगी:** यह वह पैसा है जो आपकी नजरबंदी से रिहाई की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। आम तौर पर, यह आपके मामले के समापन के बाद छह से आठ सप्ताह के बीच वापिस किया जाता है बशर्ते आपकी रिहाई की सभी शर्तें पूरी की गयी हों।
- **गारंटी:** इसमें पैसा अदायगी की आवश्यकता नहीं होती। गारंटर (जो कनाडा का नागरिक या कनाडा का स्थायी निवासी होना चाहिए) राशि की अदायगी का वादा करता है अगर आप अपनी रिहाई की शर्तों का सम्मान नहीं करते।

यदि आपका गारंटर है, उसे आम तौर पर अपने कानूनी दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक आपके आप्रवास मामले का समापन नहीं हो जाता।

शर्तों का उल्लंघन

यदि आप अपनी रिहाई की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल होते हैं, तो आपके गारंटर व्दारा दिया या वादा किया पैसा वापिस नहीं होगा और/या आपको वापिस नजरबंद किया जा सकता है।